



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2004/कार्तिक 4, 1926

No. 176]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2004/KARTIKA 4, 1926

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2004

सं. 7-1/90-के.हो.प.—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वां) की धारा 33 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) से (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (साधारण) विनियम, 1973 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः—

- (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (साधारण) (संशोधन) विनियम, 2004 है।
(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (असाधारण) विनियम, 1973 में :—
 - विनियम 1 में, अंक "1973" के लिए अंक "1984" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - विनियम 53 में, अंक "58" जहां पर भी प्रयुक्त हो के लिए अंक "60" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - विनियम 56 में, अंक "58" के लिए, अंक "60" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

डॉ. ललित वर्मा, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[विज्ञापन /III/IV/147/2004/असा.]

टिप्पणी :—मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4, में दिनांक 30 नवम्बर, 1985 को संख्या 7-1/83-के.हो.प. दिनांक 15 नवम्बर, 1985 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2004

No. 7-1/90-CCH.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) to (g) of Sub-section (1) of Section 33 of Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy with the previous sanction of the

Central Government hereby makes the following regulations to amend the Central Council of Homoeopathy (General) Regulations, 1973, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Central Council of Homoeopathy (General) (Amendment) Regulations, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Council of Homoeopathy (General) Regulations, 1973 :—
 - (i) in regulation 1, for the figure “1973”, the figure “1984” shall be substituted;
 - (ii) in regulation 53, for the figure “58” wherever it occurs, the figure “60” shall be substituted;
 - (iii) in regulation 56, for the figure “58” the figure “60” shall be substituted.

Dr. LALIT VERMA, Registrar-cum-Secy.
[ADVT/III/IV/147/2004/Exty.]

Note:—Principal regulations were published in the Gazette of India, Part-III, Section 4 dated the 30th November, 1985 *vide* No. 7-1/83-CCH dated 15th November, 1985.